

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)
 क्रमांक/कोर्ट/24/117
 तहसीलदार
 राजाखेडा

दिनांक:- 5/03/2024

विषय :- व मु0 उनवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम शन्ति में स्थगन आदेश को हटाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व मु0 उनवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम शन्ति में इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/856 दिनांक 17.05.2022 के द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 205, 206, 495/208, 497/209 स्थित ग्राम पुरापतिराम तहसील राजाखेडा पर स्थगन जारी किया गया था। इस न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट लोक अदालत की भावना से सायल के अधिवक्ता (राजीनाका) के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जा चुका है। अतः आप इस न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरवावें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना की जावें।

Manish
 उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेडा



जाई गत आदेश...
दिनांक 01/03/24 को पेश हो।

(P.O. साहज दरवाजा)

उक्त की...
में जारी...

5/3/2024

Pls
हस्ताक्षर रीडर

पत्रावली वादी के वकील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मूल राजस्व वाद के सत्य पेश डी वकील वादी की प्रार्थना अनुसार मूल राजस्व वाद ~~समाप्त~~ खारिज किया गया हुआ है। अतः मूल वाद की रीशनी में प्रांफा 212 ROTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। किंक 17/5/2022 को जारी टी के निरस्तीकरण केवल परवाना नहीनदार राजाकोटा को जारी किया जावे। पत्रावली फेशन शुमार होकर मूल वाद के सत्य सन्न रहे।
Mansoor

Mansoor

Mansoor